राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

24/2019 अमरसिंह | सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1.

23/9/20

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की कि अपीलार्थी ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी चाकसू के आदेश दिनांक 15.05.2018 एवं संशोधित आदेश दिनांक 13.06.2018 के विरुद्ध इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत की, कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष तहसीलदार चाकसू द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि तहसील चाकसू पटवार मण्डल बल्लूपूरा ग्राम बल्लूपूरा के आराजी ख.न. 348 रकबा 1.63 हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम की भूमि श्री अमर सिंह पुत्र बोदू सिंह कौम राजपूत निवासी बल्लूपूरा हिस्सा 1/2 एवं शंकर सिंह पुत्र बोदू सिंह कौम राजपूत निवासी बल्लूपूरा हिस्सा 1/2 राहीन बैंक ओरियन्टल बेंक ऑफ़ कोमर्स बाड़ापदमपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थना पत्र में आगे लिखा गया है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बल्लूपूरा अप्रार्थीगण द्वारा ख.न. 348 बीना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से भिन्न प्रयोजन उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है | अत: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्तभंग करने के कारण खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त खसरा नम्बर को सिवायचक घोषित कर अप्रार्थीगण को बेदखल कर आराजी को कब्जेराज लिये जाने का आदेश प्रदान करे | इस पर पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त की,जिसमे पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया कि उक्त खसरा नम्बर में एक ईट भट्टा स्थित है जिसका मार्का प्रताप ब्रिक कम्पनी के नाम से है | जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15.05.2018 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये एवं यह अंकित करते हुये की खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्तभंग करने के कारण ग्राम बल्लूपूरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 348 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त रकबे को सिवायचक घोषित किया जाकर कब्जेराज में लिये जाने के आदेश दिये जाते है | उक्त आदेश में दिनांक 13.06.2018 को

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

संशोधन किया गया कि खातेदार का नाम निर्णय में हजारीलाल पुत्र दामोदर, घनश्याम पुत्र दामोदर के स्थान पर अमर सिंह पुत्र बोदू सिंह शुद्द किया जाता है एवं इसी के अनुसार निर्णय में पढ़ा जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्द यह अपील प्रस्तुत हुई। जिसमे बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही हजारीलाल पुत्र दामोदर व घनश्याम पुत्र दामोदर निवासी डाहर के विरुद्द की गयी, जिसमे स्पष्ट है कि कार्यवाही अपीलार्थीगण के विरुद्द नही की गई एवं न ही उन्हें कोई सुनवाई हेतु सुचना दी गयी। मात्र देशता पूर्ण आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा उनकी आराजी में कोई परिवर्तन नही किया गया है बल्कि निर्णय में वर्णित अनुसार अन्य लोगो द्वारा अन्य भूमि पर अन्य कार्य कर परिवर्तन किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नही दिया जाकर अपीलार्थीगण की आराजी के सन्दर्भ में जो अपीलार्थी के विरुद्द कार्यवाही का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह दोषपूर्ण आदेश है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे यह भी निवेदन किया की धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने व सिवायचक दर्ज किये जाने के कोई प्रावधान नही है बल्कि हानिप्रद कार्य व शर्तभंग के सन्दर्भ में है जिसमे केवल मुआवजे के लिये व अन्य प्रावधान है एवं मियाद अवधि एक वर्ष की ही है जबकि इस प्रकरण में रेस्पो. को कोई हानि नही हुई है तथा अपीलार्थीगण द्वारा कोई शर्तभंग नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से बगैर अपीलार्थीगण को सुचना दिये उक्त कार्यवाही की गयी है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार चाकसू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/2019	अमरसिंह / सरकार 3	

अमर सिंह पुत्र बोदू सिंह व शंकर सिंह पुत्र बोदू सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। जो मूल खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महवन से अपने निर्णय में हजारीलाल पुत्र दामोदर एवं घनश्याम पुत्र दामोदर के नाम आराजी दर्ज होना अंकित कर दिया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधन के पश्चात दुरुस्त कर दिया गया है। अभिभाषक रेस्पो. ने बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 13.06.2018 को पारित किया गया है जिसमे विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 16.01.2019 को प्रस्तुत की गई है जिससे अपील स्पष्टत: मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है एवं पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा उनके खाते की कृषि आराजीयात को बगैर किसी सक्षम अधिकारी से रूपान्तरण आदेश प्राप्त किये अकृषि उपयोग उपयोग में लिया जा रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें बेदखल कर आराजी को सिवायचक घोषित किये जाने को जो आदेश दिया गया है वह न्यायसंगत आदेश है अपील ख़ारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी ने जवाब ऊल जवाब में 1990 RRD 384, 441,479 व 1984 RRD 156 उद्धरित करते हुये निवेदन किया कि माननीय न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से धारित किया है कि प्रभावित पक्षकार जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है उसे न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है यह स्वभाविक न्यायिक प्रक्रिया है जिसकी पालना की जानी चाहिये। अत: अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष तहसीलदार चाकसू द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पश्चात यह आवश्यक था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित आराजी के खातेदार काश्तकार को नोटिस दिये जाकर तलब किया जाता एवं उन्हें सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता। जैसा की

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अमरसिंह / सरकार

तारीख हुक्म	24/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस ... अपील में जारी हुए
	4	

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्दरित माननीय न्यायालयों की नजीरो में स्वभाविक न्यायिक प्रक्रिया का सिद्दांत प्रतिपादित किया गया है, उसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नही की गयी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्पष्ट एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नही कहा जा सकता | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय जैर अपील में प्रशनगत आराजी हजारीलाल पुत्र दामोदर, घनश्याम पुत्र दामोदर के खाते की आराजीयात धारित करते हुये निर्णय जैर अपील पारित किया गया है | जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय स्वयं सुनिश्चित नही था कि वे किसके खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में आदेश पारित कर रहे है | जहाँ तक अपील के मियाद में नही प्रस्तुत होने की आपत्ति का सम्बन्ध है, के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई सुचना नही दी गयी अर्थात उनकी अनुपस्थिति में आदेश जैर अपील पारित करने में मियाद का बिन्दु आड़े नही आता है | ऐसे में अपील अन्दर मियाद ही प्रस्तुत होना शुमार किया जायेगा |

अत: अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 व संशोधित आदेश दिनांक 13.06.2018 निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार निर्णय पारित करे |

पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/9/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर